(वाद संख्या–1269/19)

31.07.2019

परिवादी नागेन्द्र राय के आवेदन पर संचिका उपस्थापित की गई।

संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि सिंहेष्वर थाना कांड संख्या 68/2010 से जनित सत्रवाद संख्या 02/2011 के अंतर्गत आजीवन कारावास का सजा प्राप्त परिवादी के पुत्र, ओम प्रकाश राय, को नेत्रहीनता या अंधापन के कारण सजा पूर्व मुक्त करने या औपवंधिक जमानत व पेरोल पर उपचार हेतु सजा पूर्व कारा मुक्त करने या विशेषज्ञ डॉक्टरों को मेडिकल बोर्ड द्वारा या पुलिस संरक्षण में चेन्नई स्थित शंकर नेत्रालय, में उसका इलाज करवाने से संबंधित परिवाद पत्र प्राप्त होने के बाद आयोग द्वारा दिनांक 18.03.2019 को पारित आदेश द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, भागलपुर को परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों का अपने स्तर से जैल मैनुअल के अनुसार समुचित कार्रवाई करने हेतु प्रेषित करते हुए आयोग के स्तर से मामले को बंद कर दिया गया। पुनः परिवादी की ओर उपरोक्त आशय का आवेदन दिया गया है।

'शहीद जुब्बा सहनी, केन्द्रीय कारा, भागलपुर के कारा अधीक्षक के अपने ज्ञापांक 1699, दिनांक 15.04.2019 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी को सजा प्राप्त पुत्र, ओमप्रकाश राय, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में संसीमित है।

कार्यालय परिवादी के परिवाद पत्र (पृष्ठ 02/प0), IGIMS, **पटना के** Ophthalmology विभाग द्वारा परिवादी के पुत्र के नेत्र से संबंधित दिव्यांगता रिपोर्ट (पृष्ठ 03/प0) व परिवादी के नवीन आवेदन (पृष्ठ 09–08/प0), की प्रति संलग्न कर जैल मैनुअल में उल्लेखित प्रावधानों व अन्य सुसंगत नियमों के अनुसार परिवादी के कारा संसीमित पुत्र ओमप्रकाश राय की समुचित चिकित्सा व पेरोल आदि के प्रश्न पर यथाशीध्र निर्णय लें तथा इस पत्र की एक प्रति सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु (उपरोक्त कथित अनुलग्नको के साथ) **कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना** को भेजी जाय।

पूर्व में ही प्रस्तुत मामले को आयोग के स्तर से बंद किया जा चुका है। भेजे जाने वाले पत्र के साथ आज पारित आदेश की प्रति भी संलग्न कर दी जाए।

उक्त के संबंध मे परिवादी को तद्नुसार सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक